He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भागः II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ri. 748] No. 748] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935

(1)

विस मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2013

का.आ. 856(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा :—

- (क) निरंश देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिसका मुख्यालय उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा व्यक्तियों के मामलों की श्रेणियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में तथा उसकी सभी प्रकार की आय अथवा आय की श्रेणियों के संबंध में कार्य करेगा;
- (ख) अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा व्यक्तियों के मामलों की श्रेणियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों तथा सभी प्रकार की आय अथवा आय की श्रेणियों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्त अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निर्वहन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है: और
- (ग) इसके अलावा, इस अधिसूचना के खंड (ख) में संदर्भित अपर आयकर आयुक्त अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त को उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा व्यक्तियों के मामलों की श्रेणियों अथवा व्यक्तियों की

श्रेणियों तथा सभी प्रकार की आय अथवा आय की श्रेणियों, जिनके संबंध में आयकर आयुक्त द्वारा इस अधिसूचना के खंड (ख) के अन्तर्गत ऐसे अपर आयकर आयुक्त अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त प्राधिकृत हैं, अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा शिक्तयों के प्रयोग करने और कार्य के निर्वहन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्रम सं	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्या	लय क्षेत्राधिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	आयकर आयुक्त (मध्य), भोपाल	भोपाल	आयकर अधिनियम, 190 (1961 का 43) की ध 127 के अंतर्गत सौंपे य सभी मामले।	ग्रास

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 26/2013/फा. सं. 187/18/2012-

आ.क. निर्धारण-I]

दीपशिखा शर्मा, उप-सचिव (आ.क. निर्धारण-I)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2013

- S.O. 856(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby:—
- (a) directs that the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule below, having his headquarters at the place specified in the corresponding

1297 GI/2013

entry in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers conferred upon him under the said Act and perform the functions in respect of such cases or classes of cases of persons or classes of persons specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of income thereof;

- (b) authorises the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Income-tax, who is subordinate to him, in respect of such cases or classes of case, of persons or classes of persons specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule and in respect of all income or classes of income; and
- (c) further authorises the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Income-tax referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers, who are subordinate to him, in respect of such cases or classes of cases of persons or classes of persons specified in the corresponding entries

in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of income, in respect of which such Additional Commissioner or Joint Commissioner of Incometax are authorised by the Commissioner of Incometax under clause (b) of this notification.

SCHEDULE

S.N	Io. Designation of the Income-tax authority		Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Commissioner of Income-tax (Central), Bhopal	Bhopal	All cases assigned under Section 127 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961).

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2013.

[Notification No. 26/2013/F. No. 187/18/2012-ITA-I]
DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy. (ITA-I)